



स्वच्छ भारत

## कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फ़ैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com


--: शुद्धि पत्र :-

कमांक/3360/जि0पं0/स्था./2017-18

नारायणपुर दिनांक 29 .08.2017

कार्यालयीन विज्ञापन कमांक/2645/जि.पं./स्था./NRLM/2017-18 दिनांक 25.07.2017 के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" योजनांतर्गत जिला स्तर के स्वीकृत लेखा-सह-एम.आई. एस. सहायक पद की संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर, दिनांक 10.08.2017 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी विषय में 55 प्रतिशत के साथ स्नातक की उपाधि मांगी गई थी। उक्त विज्ञापन में संशोधित कर, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से वाणिज्य विषय में 55 प्रतिशत के साथ स्नातक की उपाधि के साथ पुनः दिनांक 11...09.2017 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। शेष नियम व शर्तें पुर्व जारी विज्ञापन अनुरूप रहेगे।

"यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।"

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/3360-A/जि0पं0/स्था./2017-18  
प्रतिलिपि :-

नारायणपुर दिनांक 29 .08.2017

1. कलेक्टर, जिला नारायणपुर।
2. जिला सूचना अधिकारी, NIC नारायणपुर उक्त विज्ञापन को [www.cgstate.gov.in](http://www.cgstate.gov.in), [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in) व जिले की वेबसाईट [www.zpnarayanpur.gov.in](http://www.zpnarayanpur.gov.in) पर अपलोड करने हेतु ( विज्ञापन में PDF में)
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञापित प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर



स्वच्छ भारत

## कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

--: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन :-

कमांक/2645 /जि0प0/स्था./NRLM/2017-18

नारायणपुर दिनांक 25.07.2017

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" योजनांतर्गत जिला स्तर के स्वीकृत लेखा-सह-एम.आई. एस. सहायक पद की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों केवल जिले के स्थानीय निवासियों के लिए दिनांक 10.08.2017 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

पद का विवरण :-

क	पद का नाम	एकमुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति				
				मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	लेखा-सह-एम.आई.एस. सहायक NRLM	17000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
योग :-			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम, शर्तों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट [www.zpnarayanpur.gov.in](http://www.zpnarayanpur.gov.in), [narayanpur.gov.in](http://narayanpur.gov.in) & [www.cgstate.gov.in](http://www.cgstate.gov.in) पर देखी जा सकती है।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें :-

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक :-

क.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव
1	2	3	4
1	लेखा-सह-एम.आई.एस. सहायक NRLM	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 55 % के साथ स्नातक की उपाधि।	1. शासकीय एवं गैर शासकीय संस्था में लेखा संबंधित कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। 2. टैली एवं एम.एस.एक्सल में कार्य करने वाले को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।


नियम व शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रॉस्टर का पालन किया गया है।
3. संविदा नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2018 तक के लिए होगी, तत्पश्चात् नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर व संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा।
5. संविदा नियुक्ति पद की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
6. सेवा सामाप्ति के पश्चात् कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
7. अभ्यर्थी को जिला का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

8. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.07.2017 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदको को छ.ग. शासन प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागु होंगे।
9. आयु की गणना दिनांक 01.07.2017 की स्थिति में किया जाएगा।
10. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण मान्य होगा।
11. अजा/अजजा/अपिव के आवेदको को जाति के पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची एवं स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।
14. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5 रु. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
15. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
18. **आवेदक जो पात्र नहीं होंगे :-**
  - i. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संताने हों, जिसमें से 01 का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
  - ii. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।

R

- iii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव नही होने पर आवेदन निरस्त कर अपात्र कर दिया जाएगा।
19. नियुक्ति का तरीका :-
- i. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जो स्वीकृत पदों के पांच गुना होगा।
- ii. तैयार मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
- iii. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
- iv. चयनित अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।
20. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
21. आवेदक का आवेदन दिनांक 10.08.2017 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक से जिला पंचायत नारायणपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
22. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
23. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।
24. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::-


जिस पद के लिए आवेदन किया जा है,

का पदनाम.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत नारायणपुर



1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :.....  
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ) :.....
2. पिता / पति का नाम (हिन्दी में ) :.....  
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ) :.....
3. लिंग (पुरुष / महिला) :.....
4. जन्म तिथि (अंको में) वर्ष.....माह.....दिन.....  
(शब्दों में) :.....
5. दिनांक 01.07.2017 को आयु :.....
6. जाति / वर्ग (अजजा / अजा / अपिव / अनारक्षित) :.....
7. शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी दक्षता की जानकारी (पद के लिए न्यूनतम योग्यता की से शुरू करें )

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि / संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का विवरण :.....  
 क) रोजगार कार्यालय का नाम :.....  
 ख) प्रथम पंजीयन क्रमांक व दिनांक :.....  
 ग) नवीनीकरण कराये जाने की तिथि :.....  
 घ) अगली नवीनीकरण कराए जाने की तिथि :.....
9. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :.....
10. जिले का नाम :.....
11. स्थायी पता :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....  
 :.....
- फोन/मोबाईल नम्बर :.....
13. कार्यानुभव (अनुभव प्रमाण पत्र व आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	अवधि

14. क्या आप विकलांग है। :.....
15. क्या उम्मीदवार विवाहित है (हां/नहीं) :.....
16. यदि विवाहित है तो विवाह का तिथि :.....
17. जीवित बच्चों की संख्या :.....
18. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो।  
 कितने वर्ष की :.....

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

10.....

11.....

12.....

### घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताए मेरे आवेदन /चयन नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकारी होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर  
( नाम एवं पूर्ण पता)